

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ0 अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 342/2025

श्रीमती चान्दनी वर्मा पत्नि श्री कपिल सैन, निवासी मकान नं0 1808, बोगा मण्डी, मण्डी आदमपुर, हिसा हरियाणा पिन  
कोड 125052 मो0न0 9466510612

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ।

आदेश

दिनांक 11.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 342/2025 पर दिनांक 25.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3940-41 दिनांक 25.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025 /1112 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्रीमती चान्दनी वर्मा पत्नि श्री कपिल सैन, निवासी मकान नं0 1808, बोगा मण्डी, मण्डी आदमपुर, हिसा हरियाणा का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 14.07.2025 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/249 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/1112 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्रीमती चान्दनी वर्मा पत्नि श्री कपिल सैन, निवासी मकान नं0 1808, बोगा मण्डी, मण्डी आदमपुर, हिसा हरियाणा का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 14.07.2025 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/249 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ0 अरुण गर्ग )  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर झुंझुनूं